International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019
Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

राजनीतिक–प्रशासनिक सहभागिता एवम् भारतीय लोकतंत्र

अभिरेन्द्र कुमार

विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,

बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपर (बिहार)

लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था की सफलता राजनीति व प्रशासन के गतिविधियों में लोगों की सहभागिता पर निर्भर करती है। विदित हो कि विविधता से परिपूर्ण लोकतांत्रिक भारत में आज विभिन्न समूहों में पहचान का संकट उभर रहा है। यह स्थिति भारत की एकता अखण्डता के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए मैंने उपरोक्त विषय पर शोध के दौरान, व्यवहारवादी, वैज्ञानिक, सांख्यिकी व विश्लेषणात्मक पद्धति से विशेष रूप से उन बिन्दुओं को खोजने का प्रयास किया है। जो वर्तमान में राजनीतिक–प्रशासनिक सहभागिता के विभिन्न आयामों को प्रभावित करते हैं, अथवा भविष्य में प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

लोकतंत्र सहभागिता के आधार पर संचालित होने वाली राज्यव्यवस्था है। इस व्यवस्था में जनता सरकार की प्रत्येक गतिविधियों में भागीदारी करती है। भागीदारी देने के कारण जनता शासन के प्रत्येक गतिविधियों व कानूनों को स्वभाविक रूप से नैतिकता के आधार पर स्वीकार्य व समर्थन करती है। जिससे यह राज्यव्यवस्था सतत् व पभावी रूप से संचालित होती रहती है। अर्थात् लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था की सतत्ा जनता की सहभागिता पर अवलंबित है।

सहभागिता का तात्पर्य किसी व्यवस्था की गतिविधियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना या करने की क्षमता रखना है। सहभागिता एक क्रिया है जिसमें संगठन का हिस्सा बनकर या संगठन की गतिविधियों को सहयोग अथवा विरोध करके प्रभावित करने जैसी क्रियाएँ शामिल होती है। सहभागिता की प्रकृति मुख्यतः दो प्रकार की होती है; सहभागिता की उदारवादी परिकल्पना के अनुसार ''व्यक्ति'' अपने हितों के संरक्षण हेतु एकाकी रूप से राजनीति व प्रशासन में सहभागिता करता है। जबकि दूसरा दृष्टिकोण मानता है कि ''अधिकार की राजनीति'' से अधिक महत्वपूर्ण है ''सर्वहिताय की राजनीति'' की संकल्पना। अर्थात् वे सरकार के गतिविधियों में समुदाय

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

की भागीदारी को सहभागिता का बेहतर रूप मानते हैं। विदित हो कि भारत में उपरोक्त दोनों दृष्टिकोण से सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है।

राजनीतिक सहभागिता का तात्पर्य राजनीति (विधायिका) को अपने पक्ष में करने हेतु चुनाव व इससे संबंधित संपूर्ण गतिविधियों जैसे; मतदान, नामांकन, टिकट प्राप्त करना, जनमत संग्रह, विरोध प्रदर्शन आदि में सहभागिता देना है। अर्थात् सरकार के नीतियों को प्रभावित करना या करने का प्रयास करना ही राजनीतिक सहभागिता है। राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों में संविधान के प्रावधान, प्रतियोगी राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह, डीबेटिंग मीडिया, सोशल मीडिया, न्यायालय का आदेश, विभिन्न मुद्दा आधारित आन्दोलन, हित समूह, सुझाव पोर्टल आदि महत्वपूर्ण है।

प्रशासनिक सहभागिता का तात्पर्य लोक कल्याण तथा कानून व व्यवस्था हेतु चलाई जाने वाले सभी गतिविधियों में जन भागीदारी है। अर्थात् नीतियों के क्रियान्वयन, सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन, उसके नियंत्रण व मूल्यांकन आदि में जन भागीदारी का होना ही प्रशासनिक सहभागिता कहलाता है। प्रशासनिक सहभागिता को परामर्शदात्री समिति, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल मीडिया, सूचना का अधिकार, अंशदान के आधार पर संचालित होने वाली सार्वजनिक गतिविधियाँ, सोशल पुलिसिंग आदि कारक प्रभावित करते हैं।

राजनीति विज्ञान में राजनीतिक–प्रशासनिक सहभागिता की परिकल्पना को व्यवहारवादियों ने लोकप्रिय बनाया है। वर्तमान में सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह अभिन्न पहलू बन गया है। इसके अंतर्गत निम्न आयामों को शामिल किया जाता है;

1- स्थानीय अथवा राष्ट्रीय चुनावों, जनमत संग्रह आदि में मतदान करना;
2- चुनाव प्रचार करना तथा रैलियाँ निकालना;
3- राजनीतिक दलों की सदस्यता प्राप्त करना;
4- सार्वजनिक नीतियों को बदलने के उद्देश्य से प्रदशन, हड़ताल, आन्दोलन आदि क्रियाकलापों में भाग लेना;
5- नागरिक अवज्ञा जैसे कर अदायगी अथवा अनिवार्य सैनिक सेवा से इन्कार करना;
6- विवादस्पद मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा करना तथा सरकार को अपनी सुझाव देना;
7- दबाव समूह, हित समूह का सक्रिय सदस्य बनना;
8- सामाजिक आन्दोलनों का हिस्सा बनना जैसे :– नर्मदा बचाओं आन्दोलन, भ्रष्टाचार के विरूद्ध आन्दोलन आदि;
9- सामाजिक नैतिक विकास हेतु स्काउट, एन.सी.सी. छात्र समिति का सदस्य बनना;

10- सरकार की परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता प्राप्त करना;

11- सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन में लाभार्थियों के रूप में भागीदारी करना;

12- राशि का अंशदान करके सार्वजनिक कार्यों को संपादित करना जैसे– सड़क निर्माण, सफाई कार्य, आदि।

13- सामाजिक ड्यूटी करना जैसे–यातायात नियंत्रण, सोशल पुलिसिंग आदि;

14- विकास परियोजना में प्रभावित पक्षों की सहभागिता से परियोजना का प्रबंधन करना, आदि।

चूंकि भारत संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। ऐसे में राजनीति व प्रशासन के बीच एक सीमा तक अन्योन्याश्रय संबंध पाया जाता है। विदित हो कि संसदीय लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक कार्यपालिका ही नीतियों को क्रियान्वित करने वाली सर्वोच्च सत्ता होती है जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका सरकारी नीतियों को कार्यरूप प्रदान करने में राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करती है। ऐसे स्थिति में यदि राजनीतिक स्तर पर जनता की सहभागिता बढ़ेगी तो वह स्वतः प्रशासनिक सहभागिता को बढ़ाएगी। इस दृष्टिकोण के अलावा अन्य दृष्टिकोण से भी राजनीतिक–प्रशासनिक सहभागिता को इस शोध में विश्लेषित किया गया है।

राजनीतिक सहभागिता के उपरोक्त पक्ष में राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक एजेन्ट के रूप में कार्य करते है। इसे निम्न विश्लेषण से समझा जा सकता है। जैसे–भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चुंकि यहाँ की जनसंख्या विशाल है ऐसे में यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना कठिन है। इसलिए यहाँ प्रतिनिधिक लोकतंत्र को अपनाया गया है। यहाँ किसी को भी अपना संगठन बनाने का संवैधानिक अधिकार है, फलतः विविधतापूर्ण इस देश में लोग अपने विचारों को नीति निर्माण के स्तर तक पहुंचाने हेतु उन पार्टियों को समर्थन देते हैं जो उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करता है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होता है। अधिक से अधिक जन समर्थन को प्राप्त करने हेतु पार्टियों अपने चुनावी घोषणा में अधिकांश समूहों क मांगों को जगह देती है। जिससे राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता की स्थिति बन जाती है।

उपरोक्त चुनावी प्रतियोगिता के कारण भारत में सामान्यतः 1989 के बाद से किसी विशेष दल को सत्ता प्राप्त करने हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण एक विचारधारा की पार्टियाँ आपस में गठबंधन करके सरकार बना रही है। विदित हो कि लोकतंत्र में यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो इसका तात्पर्य है कि सत्ता में अधिकांश लोगों की सहभागिता होती है। वर्तमान भारत में द्विदलीय गठबंधन पार्टी का स्वरूप उभर रहा है। इसमें एक गठबंधन को प्रमुख पार्टी बीजेपी है तो दूसरी की कांग्रेस है।

भारत में राजनीतिक–प्रशासनिक सहभागिता की संकल्पना को 1950 के दशक से लागू किया गया। 1950 के दशक में राजनीति के स्तर पर लोकप्रिय कांग्रेस तथा उसके नेताओं ने

अपने विचारधारा के आधार पर नागरिकों से वोट मांगे जिससे जनता की राजनीतिक– प्रशासनिक सहभागिता हुई। साथ ही विकास (सामुदायिक विकास कार्यक्रम) तथा पंचायती राज संस्थाओं को लाकर प्रशासनिक सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। 1970 के दशक में क्रमशः केन्द्रीय स्तर सशक्त नेतृत्व के अभाव, आपातकाल के विरोध, गरीबी, बेरोजगारी आदि मुद्दों के पृष्ठभूमि में विभिन्न क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। लोगों ने इन अवधि के दौरान तानाशाही के विरूद्ध सत्ता पक्ष के विरोध में मतदान किए। यह राजनीति में सहभागिता के नवीन प्रवृत्ति को दर्शाता है।

1980 के दशक में राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर राज्यों में विभिन्न दलों की सरकार बनी जबकि केन्द्र में कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। हालांकि इस दौरान गरीबी हटाओं के लिए लाए गए कार्यक्रम जैसे समेकित विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, ट्राइसेम आदि ने लोगों को प्रशासन के साथ अंतरक्रिया को बढ़ाया। 1990 का दशक भारत में सामाजिक न्याय का दशक था। इस अवधि में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, राम मंदिर विवाद, शाह बानों केस, विभिन्न घोटालों आदि के पृष्ठभूमि में लोगों ने अलग–अलग पार्टियों को अपना मत दिया। ऐसे में इस दशक में गठबंधन की सरकार बनी। जो लोकतंत्र के आदर्श स्थिति के अनुरूप था। इस अवधि के दौरान विभिन्न आन्दोलनों तथा गैर सरकारी संगठनों ने राजनीतिक–प्रशासनिक भागीदारी को बढ़ाया। साथ ही 73 वां एवं 74 वां संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था में सभी वर्गों की सहभागिता को सवंद्धित किया।

21 वीं शताब्दी का प्रथम दशक में केन्द्र स्तर पर राजनीति में द्विदलीय गठबंधन उभरा। इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों में चुनावी प्रतियोगिता का मुद्दा ग्रामीण विकास, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रशासन में पारदर्शिता, पाकिस्तान मुद्दा आदि था। लोगों के द्वारा अपनी आकांक्षाओं व देश की समस्याओं के पृष्ठभूमि में राजनीतिक सहभागिता किया गया।

इस दशक ने प्रशासनिक भागीदारी के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसमें सूचना का अधिकार तथा सेवा का अधिकार था। इसके अलावा प्रशासनिक गतिविधियों के निरीक्षण हेतु सामाजिक अंकेक्षण, प्रशासनिक गतिविधियों की दैनिक ऑन लाईन स्वतः प्रकटन आदि संकल्पनाओं को सार्थक माना गया।

वर्तमान में सहभागिता के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं जैसे– भारत में जहाँ एक ओर अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी आदि कारकों ने लोगों को राजनीतिक–प्रशासनिक सहभागिता के संदर्भ में निष्क्रिय बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीति व प्रशासन में बढ़ता भ्रष्टाचार, धन–बल का प्रयोग, लालफिताशाही, असंवेदनशीलता आदि ने लोगों को इस क्षेत्र में भागीदारी देने से हतोत्साहित भी कर रही है।

फिर भी आजादी के 70 वर्ष के अन्दर किए गए उपरोक्त प्रयासों से विविधतापूर्ण भारत में सहभागिता न केवल संरक्षित हुई बल्कि पोषित भी हुई। उपरोक्त सहभागिता को राजनीतिक दलों के अलावा गैर सरकारी संगठन, विभिन्न आन्दोलन, व्यक्तिगत व सांगठनिक प्रयास, सुझाव पोर्टल, सरकार की योजनाएँ, संविधान के प्रावधान, न्यायालय के आदेश, भारत की समावेशी संस्कृति, मीडिया, जनजागरूकता, शिक्षा का बढ़ता स्तर आदि ने बढ़ाया है। वर्तमान में नवीन तकनीक तथा बढ़ती जागरूकता ने सहभागिता के न केवल तरीकों को बदला है बल्कि सहभागिता के विभिन्न आयामों को प्रोत्साहित किया है। यह भारतीय एकता व अखण्डता के साथ–साथ भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1- जौसेफ ला पालम्बरा ''पॉलिटिक्स विदिन नेशन'' न्यूयार्क, प्रेन्टिस हॉल, 1974, पृष्ठ 509.

2- जौसेफ ला पालम्बरा और मायरन वीनर ''दी ओरिजीन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ;म्केद्ध पॉलिटिकल पार्टीज एण्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट'' प्रीसटन, न्यूजर्सी, च्तपेजवद न्दपअमतेपजल च्तमेए 1966ए च.6ण्

3- इन्द्रा सावहनी.वी, इक्वेलिटी एण्ड इनक्वेलिटी : थ्यौरी एण्ड प्रैक्टीस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली (ओ.वाय.पी. दिल्ली, 1983).

4- भीखू पारेख, ''एमिसकन्सीवड डिसकोर्स ऑफ पॉलिटिकल ओबलिगेशन'' इन पॉलिटिकल स्टडीज जून, 1993.

5- चन्दोख, नीरा, स्टेट एंड सिविल सोसायटी : एक्सप्लेरेशन्सइन पॉलिटिकल थ्योरी, (सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1995.

6- डर्कस निकोलस, बी., कास्टेस ऑफ माइण्ड : कोलोनिलिज्म एण्ड मेकिंग ऑफ मॉडर्न इण्डिया, (पर्मानेंट ब्लेक, दिल्ली, 2002).

7- चुनाव आयोग, भारत सरकार का चुनावी आंकड़ों से सम्बन्धित प्रतिवेदन, वर्ष 2015.

8- जाना, अरूण के0 एंड शर्मा भूपेन (संपादक), क्लास, आईडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पार्टिज इन इंडिया (साउथ एशियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2002.